RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

E-mail : coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 31 जुलाई, 2014 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 11, अंक : 2

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

जैसा कि आप के क्षेत्र मे भी होगा कि इस वर्ष वर्षा की मात्रा बहुत कम है। यह वर्षा देश की हर फसल पर प्रभाव डालेगी और कृषि आधारित उद्योगों पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। जुलाई में तीन सप्ताह तो बीत चुके है और प्रभावी वर्षा का कही नामोनिशान नहीं है। इस कम वर्षा से आगामी बुआई भी पूरी तरह से प्रभावित होगी क्योंकि फसल के बोने और सिचांई करने के लिए पानी की कमी अवश्य सामने आयेगी। पानी की इस कमी को देखते हुए आलू के भावों में तेजी आना स्वाभाविक है। इस समय सारे देश में आलू उत्पादक प्रान्तों में सरकार ने विशेष अभियान चलाने की योजना बनाई है जिससे कि आलू के रेट ना बढ़ पाये परन्तु हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार के इन कदमों से आलू के भावों में किस प्रकार नियंत्रण हो सकता है। यदि सरकार के सख्त कदमों से घबरा कर भण्डारर्णकर्ता अपने आलू को पहले ही निकाल कर बेच लेंगे तो बीज आलू की कमी होने का भय बना रहेगा। वैसे अभी उत्तर प्रदेश में कही पर भी इस बात के लिए छापे नहीं मारे है कि किस शीतगृह में कितना आलू रखा है और क्यों रखा है। यदि कहीं पर सरकारी अधिकारी गये भी है

तो उन्होने शीतगृहों की चेकिंग उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 के अर्न्तगत ही की है जिसमें शीतगृहस्वामी द्वारा शीतगृह लाइसेन्स को प्रस्तुत करना, जितनी क्षमता का लाइसेन्स है उससे अधिक भण्डारण तो नहीं किया है साथ ही स्टॉक रजिस्टर को चेक किया है कि भण्डारर्णकर्ता के नाम पते व भण्डारित मात्रा पूरी तरह से रजिस्टर मे चढ़ी हुई है या नहीं, परन्तु इसका संदेश शीतगृहस्वामियों को अलग–अलग गया है और उन्होंने उद्यान अधिकारियों द्वारा की गई इस कार्यवाही को छापे का नाम दे दिया है।

हमारे मत अनुसार जो भी शीतगृह अपना सही रजिस्टर तैयार करे हुए हैं, लाइसेन्स की क्षमता के बराबर ही माल भण्डारित किया है, उन्हें किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। बेनामी भण्डारण पर अवश्य रोक लगेगी।

फूड सेफ्टी एक्ट 2006

फूड सेफ्टी एक्ट के बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। इस सम्बन्ध में कमिशनर, फूड सेफ्टी, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को हमने एक पत्र लिखा है जिसे हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं :–

GS114/CSA27/49/2014 July 17, 2014

The Commissioner Food Safety & Drug Administration,
Government of Uttar Pradesh,
9, Jagat Narain Road,
Lucknow (U.P.)
Phone: 0522-2258103/2258102

Dear Sir,

Reference : Telephonic discussion with Shri Vijay Bahadur Yadav, Assistant Commissioner, on 17.7.2014
Subject : The Uttar Pradesh Regulation of Cold Storages Act, 1976 and Food Safety and Standards Act 2006

The application of Food Safety and Standards Act 2006 on cold storages is not clear to us.

Please note that in Uttar Pradesh majority of the cold storages store potatoes.

Cold Storages are already governed under The Uttar Pradesh Regulation of Cold Storages Act, 1976 in which full control is taken into consideration regarding rotting of stocks or any type of wastage. Please let us know which Act would prevail in case of rotting

of stock in cold storages. We are also not clear about which shall be termed as rotting, shrinkage, sprouting or any other type of deterioration.

Please reply at a very early date so that we may circulate the applicable rules among our Members all over Uttar Pradesh.

Thanking you,

Yours faithfully,
for **COLD STORAGE ASSOCIATION U.P.**
(MAHENDRA SWARUP)
PRESIDENT

c.c. The Director, Horticulture & Food Preservation U.P. 2, Sapru Marg, Lucknow 226001 for necessary guidelines to cold storages in respect of Food Safety and Standards Act, 2006 applicability on cold storages.

शेष पृष्ठ संख्या 18 पर

सही ई–मेल पते व टेलीफोन नम्बर :

हम अपनी पत्रिका में अपने सदस्यों से कई बार अनुरोध कर चुके है और सदस्यों ने उस पर पालन भी किया है परन्तु वह आशा के अनुरूप नहीं है। तमाम सदस्यों के पते, जिस पर कि वह हमसे पत्राचार करना चाहते है, उनके कार्यालय बदल जाने के कारण बदल गए हैं। इसी प्रकार बहुत अधिक सदस्यों के टेलीफोन नम्बर बदल गए हैं। हमारा अनुरोध है कि आप अपने सही पते व टेलीफोन नम्बर हमें लिखकर तुरन्त भेजने का कष्ट करें। बदले हुए पतों पर पत्र लौट आने के बाद दोबारा पत्राचार कर पाना हमारे लिए सम्भव नहीं होगा और हम उन्हें पत्र भेजना भी बन्द कर देंगे। हमने कई बार बदले हुए पतों पर टेलीफोन से भी संपर्क करने की कोशिश की परन्तु उनका टेलीफोन नम्बर भी बदल जाने के कारण सपंर्क कर पाना असम्भव हो गया। अतः आप अपने फायदे के लिए ही फौरन चेक कर लें कि आपने एसोसिएशन के कार्यालय में सही पता/टेलीफोन नम्बर व ई–मेल पता दिया है या नहीं।

इसी प्रकार हमें अपने सदस्यों के ई–मेल पता ना होने पर पत्राचार बहुत मुश्किल हो रहा है। कई दफा हम बहुत ही कम समय में अपने सदस्यों को सूचना देना चाहते हैं, जैसे अभी दिनांक 16 जुलाई को हमें पता लगा है कि 24 और 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश नियामक आयोग की तरफ से पब्लिक हियरिंग (Public Hearing) होने जा रही है, इतने कम समय में सदस्यों को डाक द्वारा सूचित कर पाना सम्भव नहीं होता और साथ में खर्चा भी बहुत आता है। अतः यदि है, तो अपना ई–मेल पता तुरन्त भेजिए

जिससे कि हम आपको ऐसे सरकारी शार्ट नोटिसों की भी सूचना दे सकें। सरकारी शार्ट नोटिसों की सूचना व अन्य तुरन्त होने वाली कार्यवाहियों के बारे में आगे से केवल उन सदस्यों को सूचित कर पायेंगे जिनके ई–मेल पते हमारे पास होंगे बाकी सदस्यों को पत्रिका द्वारा ही सूचित किया जायेगा।

इसके लिए हम यहाँ पर एक छोटा चार्ट बना कर दे रहे है जिसे आप भर कर भेज सकते हैं :–

1. कोल्ड स्टोरेज का नाम व पता :
2. पता जिस पर आप पत्राचार चाहते हैं पिन कोड सहित :
3. टेलीफोन नम्बर :
4. मोबाइल नम्बर :
5. ई–मेल पता

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सदस्य कैसे बने?

हमे कई शीतगृहों से यह सूचना आ रही है कि नए कई शीतगृहस्वामी, जो कि अभी तक सदस्य नही बने हैं, एसोसिएशन के सदस्य बनना चाहते है लेकिन उन्हे उसका तरीका नहीं पता है। सदस्य बनने के लिए आपको केवल नीचे दिया हुआ फार्म 20,000 रूपए का बैक ड्राफ्ट जो लखनऊ में देय होगा भेजना है। कुछ लोग यदि अपनी आजीवन सदस्यता फीस हमारे बैंक अकाउण्ट में जमा कराना चाहते है तो हमारे निम्नलिखित अकाउण्ट में जमा करा सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें इस रूपए के जमा करने का पूरा विवरण भेजना होगा। अन्यथा हमारे लिए यह पता लगा पाना सम्भव नहीं है कि अमुक धन किस पार्टी का है और किस मद में आया है। यहाँ सदस्य बनने के लिए यह बाध्यता है कि उस पार्टी को कोल्ड स्टोरेज का मालिक होना अनिवार्य है। किसी भी अन्य व्यक्ति, संस्था या मशीनरी निर्माता को सदस्यता नहीं दी जाएगी :–

- **Bank Account :** Savings Bank Account Number 680310100010161
- **Name of Account Holder :** Cold Storage Association U.P.
- **Address :** C/o Swarup Cold Storage, Water Works, Road, Aishbagh, Lucknow (Uttar Pradesh) India Pin 226004
- **Bank Address :** Bank of India, Aishbagh Branch, Chandranagri 278/81, Aishbagh Road, Lucknow (U.P.) Pin 226004
- **IFSC :** BKID0006803

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का सदस्य बनने के लिए प्रार्थना पत्र :

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

स्वरूप कोल्ड स्टोरेज

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग,

लखनऊ पिन 226004

फोन : 0522–2242486 फैक्स : 0522–2242486

मोबाइल : 9415418566 / 9335019355 / 9839013400

1. शीतगृह का नाम :
2. शीतगृह का पता :
3. शीतगृह का फोन :
4. मालिक/मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम :
5. पत्र व्यवहार का पता :
   फोन/ई–मेल
6. शीतगृह की क्षमता :
   (क) बोरों में
   (ख) कुन्तल में
7. भण्डारण :
   (क) आलू
   (ख) गुड़
   (ग) किराना आदि
8. सदस्यता शुल्क का विवरण :
   बैंक ड्राफ्ट/चेक नम्बर
   बैंक का नाम व शाखा

दिनांक हस्ताक्षर

नोट : आजीवन सदस्यता शुल्क बीस हजार रुपये 20,000 रुपये है। भुगतान केवल चेक/ड्राफ्ट से ही लिया जायेगा जो कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के पक्ष में देय होगा।

बजट 2014 में कृषि आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर पर प्रकाश :

श्री आशीष गुरु, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया ने हमें नये बजट में कृषि आधारित स्कीम व इन्फ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढाँचे) को सुधारने के लिये कुछ बिन्दु भेजें हैं, जिन्हें हम यहाँ उन्हीं की भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह प्रयास हमारे सदस्यों को नये बजट की विस्तृत जानकारी देने के लिये है।

Budgetary Exercise to Increase Agri Growth Rate

It is practice of professionals and intellectuals to analyse budgetary provisions for direct, indirect taxes, financial, deficit and other allocations. But we rarely find analysis of provisions related to agriculture and agriculture infrastructure. I am writing my first article in U.P Cold Storage association "Patrika" about directions of agriculture in the maiden budget of P.M. Shri Narendra Modi.

(1) Survey for River Linking Plan :

Helps to irrigated non irrigate land, hydro power generation, better environment through aforestation, development of cost effective water ways, tourism and most important is better job opportunity.

(2) Prime Minister's Irrigation Scheme :

To fight against irregular monsoon due to climate change and more agriculture land under cultivation also support for better productivity.

(3) Prime Minister National Rural Road Connectivity Scheme :

To reach perishable agri-produce to nearby market or for exports and helps to create agriculture infrastructure in production area.

(4) Port Development and New Air Cargo Complex :

It leads to rapid transport of import export of perishable agri-produce and reduce logistics cost and time.

(5) Jyotigram Yojna :

Gujarat enjoys number of benefits through Jyotigram Yojna it helps farmer for irrigation

agro industries for value addition, development of small scale industry and create job opportunity.

(6) Rural Internet Connectivity Scheme :

Farmers get timely weather report and good agriculture practices adopted by the farmers of other State and Countries. Farmers get better price of their produce through market intelligence.

(7) License for Private Market and National Connectivity of Agriculture Market

If Agri-market provisions for farmer customer market creates better opportunity to sell agri-produce at better terms and price.

(8) Climate Change Adoption Fund, 2 Agri University, 2 Horti University :

Climate change is a headache for farmer, we know this year farmer suffer financial loss because at irregular monsoon resulted into failure early sowing. It is necessary among the agri. university for timely advice for alternate crops, for sustainable agri. & Horti produce I hope proposal to establish new agri. & Horti university would help to grow more with better productivity.

(9) Linkage of MNarega with Agriculture :

Because of rapid urbanization and development of manufacturing and service sector there is a acute shortage of farm labour linkage to in MNarega helps agriculturist to have better availability of labour result in to lesser wastage of agri-produce.

(10) 1.00 lacs solar base agriculture pump helps farmer for timely irrigation and save them from irregular and inadequate power supply.

(11) Rs. 5000 crore for Scientific Ware House

There is wide gap between production of perishable agri. produce and storage facility govt. should focus on creating cold storage and cold chain facility for perishable agri. produce other then potato.

Overall focus is to provide electricity. Solar energy, internet connectivity, better road connectivity rural housing finance climate change education, scientific storage facility,

opportunity and alternative to sell their produce at better terms, which result in to higher productivity and production, to check inflation and better job opportunities.

India Ware Housing Show 2014

प्रगति मैदान, नई दिल्ली दिनांक 8–10 जुलाई, 2014

जुलाई के दूसरे सप्ताह में दिल्ली में India Ware Housing Show 2014 का आयोजन किया गया जिसे श्री राजेश गोयल के साथ आगरा के कई सदस्यों ने जाकर देखा। श्री राजेश गोयल ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ इस शो का उद्घाटन भी किया। इस शो में शीतगृहों के लिये इन्सुलेशन, वेन्टीलेशन, डाटा लॉगर, वाटर लॉगिंग आदि को दर्शाने के लिये स्टाल भी लगे थे। आगरा के सदस्यों के अतिरिक्त इस शो को देखने के लिये अलीगढ़, फिरोजाबाद व अन्य नजदीकी जनपदों से अनेक शीतगृहस्वामी आये थे, जिनमें प्रमुख श्री मोहित अग्रवाल, श्री संजय अग्रवाल, श्री गोपाल सिंह, श्री प्रदीप सिंघल, श्री राजेन्द्र गोयल, श्री मुन्नालाल प्रमुख थे। यह शो शीतगृह उद्योग के लिये काफी लाभप्रद था।

श्री राजेश गोयल व अन्य गणमान्य व्यक्ति इण्डिया वेयर हाउसिंग शो का उद्घाटन करते हुए।

विद्युत सम्बन्धी :

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड का दिनांक 19.10.2012 को निर्गत आदेश लागू करने के सम्बन्ध में फैसला

संजय कुमार सिंह
निदेशक (वाणिज्य)

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ –01

पत्रांकः– 119 /एच0सी0/क्रियान्वयन वर्ष 2012–13 दिनांक/मई, 19 2014

विषय : दिनांक 19.10.2012 को निर्गत आदेश लागू करने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक
पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल
विद्युत वितरण निगम लि0
मेरठ/लखनऊ/आगरा/वाराणसी।

प्रबन्ध निदेशक
केस्को,
कानपुर।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा मै0 शाकुम्बरी पल्प एवं पेपर मिल्स लि0, मै0 सुची पेपर मिल्स प्रा0लि0 एवं मै0 विनायक रोलर फ्लोर मिल्स द्वारा दायर याचिकाओं क्रमशः सं0 13514/2014, सं0 17090/2014 एवं सं0 15122/2014 पर निर्गत निर्णय दिनांक 01.04.2014 के अनुपालन में पूर्व में निर्गत समस्त निर्देशों का अतिक्रमण करते हुये निर्देशित किया जाता है कि एल0एम0वी0–6 एवं एच0वी0–2 श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु दिनांक 19.10.2012 को निर्गत टैरिफ आदेश दिनांक 01.11.2012 से प्रभावी माना जायेगा।

भवदीय,

Sanjay 17/5/14

(संजय कुमार सिंह)
निदेशक (वाणिज्य)

पत्रांकः– /एच0सी0/क्रियान्वयन वर्ष 2012–13/तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) विद्युत वितरण क्षेत्र।
2. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड।

(संजय कुमार सिंह)
निदेशक (वाणिज्य)

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA

Regd. Office : Swarup Cold Storage, Aishbagh, Lucknow (U.P.) Pin - 226004
Phone : 0522-2242486, Fax : 91-0522-2242486, Mob. : 9335019355, 9415418566
E-mail : coldstorage@satyam.net.in, coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

Regd. No. 907-2001/2

Mahendra Swarup - President, **Ashish Guru,** Senior Vice President, **Rampada Paul** - Vice President (North),
Mukesh Kr. Aggarwal - Vice President (Delhi) and Co-ordinator Government Affairs, **B.L. Jaju** - Treasurer and Dir. Incharge and Finance Controller,
S.N. Ashraf - Jt. Secy. and Dir. Coordination, **Kulwant Singh Saini** - Director Information & Revenue, **Rajesh Goyal** - Hony. Secretary,
Bhuvesh Agarwal - National Coordinator, **Gubba Nagender Rao** - Coordinator (South),
Rakesh Garg - Co-ordinator Government and International Affairs

TOGETHER WE PROGRESS

कई प्रान्तों से आलू भण्डारणकर्ताओं पर सरकार द्वारा सख्ती के समाचार मिल रहे हैं जिसमें कि पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश व हरियाणा मुख्य है। वैसे थोड़ी बहुत सरकारी दौड़ भाग हर प्रान्त में हो रही है जहाँ कि आलू भण्डारण होता है। जहाँ तक हमारी जानकारी है केन्द्र सरकार ने आलू को अभी आवश्यक वस्तु अधिनियम में नहीं लिया है और ना ही यह बताया है कि आलू की कितनी भण्डारित मात्रा आवश्यक वस्तु अधिनियम में आती है। ना ही अभी यह स्पष्ट हुआ है कि क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम किसानों पर भी लागू होगा या केवल व्यापारियों पर। अभी तक हर प्रदेश केवल अपने प्रदेश के नियमों के अर्न्तगत ही कार्यवाही कर रहे है या करने की सोच रहे हैं। जहाँ तक हमें ज्ञात हुआ है पश्चिमी बंगाल में प्रदेश की सीमा से बाहर आलू ले जाने पर रोक लगा दी है। यह मौजूदा शासन तंत्र में कहा तक सफल है हम नहीं जानते। यह सारी रोकथाम के बाद आलू के भाव व बिक्री पर कितनी सफलता प्राप्त होती है यह समय ही बतायेगा।

उत्तर प्रदेश :

जैसा कि सब जानते है कि उत्तर प्रदेश की शीतगृहों की क्षमता का मात्र 80 प्रतिशत ही आलू भण्डारित हुआ है जो कि गत वर्ष के भण्डारण से मात्र पाँच प्रतिशत अधिक गिना जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में उद्यान विभाग के अधिकारियों ने दो चार शीतगृहों में जाकर वहाँ के स्टॉक की चेकिंग करी और शीतगृहस्वामियों को उनके रिकार्ड प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। हमारे मतानुसार यह एक साधारण नियमानुसार प्रक्रिया है। इसमें शीतगृहों को किसी भी तरह अन्यथा नहीं लेना चाहिए और ना ही घबराना चाहिए।

शिवांग कोल्ड स्टोरेज, सासनी, हाथरस से हमें यह समाचार मिला है कि वहाँ पर शीतगृह में 14 से 16 रुपये प्रति किलो आलू बिक रहा है। अलीगढ़ व हाथरस से अनुमानतः 30 प्रतिशत आलू की निकासी हो चुकी है। यहाँ यह ध्यान रहे कि शीतगृहों का भण्डारण गत वर्ष के अनुपात में 8 से 10 प्रतिशत कम हुआ है। इस समय अलीगढ़, हाथरस जनपदों में उद्यान अधिकारियों द्वारा शीतगृहों का निरीक्षण किया जा रहा है और इस निरीक्षण में स्टॉक की सघन जाँच, भण्डारण शुल्क रसीद व पल्टाई

की स्थिति जाँची जा रही है। हमारी राय में यह एक साधारण प्रक्रिया है, परन्तु उन शीतगृहस्वामियों को अवश्य असुविधा होगी जिन्होंने बेनामी नामों से आलू भण्डारण किया हुआ है।

पाकिस्तान द्वारा आलू आयात पर ड्यूटी हटाई :

पाकिस्तान में इस वक्त आलू की बेहद कमी पायी जा रही है। रमज़ान के महीने में आलू के रेट न बढ़ने पाये इस कारण से पाकिस्तान में करीब 1 लाख मीट्रिक टन आलू का आयात बगैर किसी ड्यूटी के करने का फैसला किया है। यह आयात 15 नवम्बर तक जब तक कि नई फसल नहीं आ जाती के लिये स्वीकृत किया गया है। हमें पूरी आशा है कि इस प्रकार के आयात से भारत को अवश्य लाभ पहुँचेगा क्योंकि भारत से आलू का आयात सड़क के रास्ते किया जा सकता है।

(उपरोक्त सूचना हमें श्री अरविन्द अग्रवाल, सोराँव कोल्ड स्टोरेज, इलाहाबाद ने भेजी है)

Meeting of Federation of Cold Storage Associations of India at New Delhi on 21st August, 2014

Meeting of Federation of Cold Storage Associations of India will be held at 10.30 a.m. on Thursday, 21st August, 2014 at New Delhi. The venue shall be informed later on. All the State Presidents & Secretaries are requested to attend this Meeting.

Following is the Agenda :

1. To discuss and suggest about implementation of Essential Commodities Act.
2. Central Government Budget pertaining to Cold Storage Industry.
3. Licensing for Food and Safety Standard Act 2006 for Cold Storages.
4. Discussion on Modernisation of Cold Storage Plant.
5. Fire Safety.
6. Solar Energy - emerging scope to reduce power cost. NHB new guideline for subsidy of Solar Energy.
7. Discussion on Website Development.
8. State Associations Reports on their working pertaining to Federation guidelines.
9. Any other subject with the permission of the Chair.

पृष्ठ संख्या 4 का शेष

फूड सेफ्टी एक्ट के सम्बन्ध में :

इस एक्ट के अन्दर आने का विरोध अपनी एसोसिएशन शुरू से करती आ रही है। हमने केन्द्र को व उत्तर प्रदेश सरकार को अनेक पत्र भी लिखे हैं। इसी सम्बन्ध में हमारा एक प्रतिनिधिमण्डल (डेलीगेशन) श्री राकेश गर्ग व श्री राजेश गोयल की कमान में सम्बन्धित मंत्री माननीय डॉ. हर्षवर्धन से भी दिल्ली में मिला और उन्होंने हमारे केस को बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिये कहा। हम अपने सदस्यों को आश्वासन देना चाहते हैं, इस मामले में भी एसोसिएशन पूरी तरह सजग है। यह तो हम नहीं कह सकते की हमें सफलता ही मिलेगी, परन्तु इस ओर पूरे प्रयास किये जा रहे हैं।

बायें से दायें : माननीय सांसद श्री रामशंकर कठेरिया, श्री अजय गुप्ता, श्री राकेश गर्ग, श्री राजेश गोयल, श्री भुवेश अग्रवाल माननीय केन्द्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को एसोसिएशन की ओर से ज्ञापन (Memorandum) देते हुए।

उद्यान विभाग उ.प्र. द्वारा आलू विकास नीति 2014 पर कार्य शुरू :

उत्तर प्रदेश शासन

उद्यान अनुभाग

संख्या : 1764/58–2014–151/2012–ए–1

लखनऊ : दिनांक : 10 जुलाई, 2014

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश में आलू की खेती के विकास, उत्पादन तथा विपणन को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु उ.प्र. आलू विकास नीति–2014 का प्रख्यापन शासनादेश सं.–5/534–58–2014–151/2012–ए–1, दिनांक 04.03.2014 के द्वारा किया गया है। उक्त नीति के अन्तर्गत गुणवत्तायुक्त बीज एवं भोज्य आलू के उत्पादन को प्रोत्साहित

करना, आलू की खेती की आधुनिक तकनीकी को बढ़ावा देना, बीज एवं खाने के आलू का समुचति भण्डारण कराना, विपणन/निर्यात एवं आलू आधारित प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना तथा तकनीकी हस्तान्तरण एवं दक्षता विकास कराये जाने का उद्देश्य समाहित है।

उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति–2014 के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :–

1.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	उपाध्यक्ष
3.	प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
11.	प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
12.	प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हाफेड)।	सदस्य
13.	निदेशक, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला, हिमाचल प्रदेश।	विशेष आमंत्रित सदस्य
14.	निदेशक, नेशनल हार्टीकल्चर रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन (NHRDF) नासिक महाराष्ट्र।	विशेष आमंत्रित सदस्य
15.	अध्यक्ष, शीतगृह संघ, उत्तर प्रदेश शासन।	आमंत्रित सदस्य
16.	अध्यक्ष, आलू उत्पादक संघ, उत्तर प्रदेश।	आमंत्रित सदस्य
17.	निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	सदस्य सचिव

उक्त समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास में आवश्यकतानुसार कम से कम एक बार आहूत की जायेगी। समिति द्वारा प्रदेश में आलू के बीच वितरण/बीज उत्पादन, फसल में विभिन्न स्तरों पर होने वाले कार्य–कलापों, उत्पादकता एवं उत्पादन के दृष्टिगत भण्डारण की समुचित व्यवस्था, प्रदेश के बाहर एवं देश के बाहर विपणन व्यवस्था से सम्बन्धित समस्त बिन्दुओं पर अनुश्रवण/समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु सुझाव दिया जायेगा तथा तद्नुसार कृत कार्यवाही पर भी समीक्षा की जायेगी।

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव

संख्या : 1764 (1)/58–2014, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11. प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12. प्रमुख निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन, उत्तर प्रदेश शासन।
13. निदेशक, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला, हिमाचल प्रदेश।
14. निदेशक, नेशनल हार्टीकल्चर रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन नासिक महाराष्ट्र।
15. अध्यक्ष, शीतगृह संघ, उत्तर प्रदेश।
16. अध्यक्ष, आलू उत्पादक संघ, उत्तर प्रदेश।
17. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से कि उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति–2014 के अध्याय–9 में वर्णित मण्डल स्तरीय एवं जिला स्तरीय अनुश्रवण समितियों के गठन के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें एवं राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आवश्यकतानुसार प्रत्येक त्रैमास में आहूत कराते हुए इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2014-16

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित